

प्रकरण क्रमांक:-..... /

प्रस्तुती दिनांक:-.....

श्रीमान सदस्य महोदय राजस्व मंडल के राजस्व न्यायालय

ग्वालियर के इंदौर कैम्प के समक्ष

R 4341-PPR16

1. राजल बाई बेवा तारिया

उम्र:-65 वर्ष लगभग, व्यवसाय:- ~~नौकरी~~ ^{मजदूरी} व खेती

निवासी:- ग्राम गवलपुरा(वनी), करही,

तहसील महेश्वर, जिला खरगोन(म.प्र.)

एवं अन्य वारिस:-

2. सुभाष पिता ताराचंद खेडेकर

3. कमल पिता ताराचंद खेडेकर

विरुद्ध

1. नरसिंह पिता बोदर जाट

एवं अन्य वारिस:-

2. लीलाबाई पति नरसिंह जाट

3. केसर बाई पिता नरसिंह जाट

4. प्रेमबाई पिता नरसिंह जाट

5. ज्ञानचंद पिता नरसिंह जाट

6. सुमनबाई पति नरसिंह जाट

सभी निवासी:- भिखार खेडी,

~~खेडी~~ तहसील महेश्वर, जिला खरगोन (म.प्र.)



—प्रत्यर्थीगण

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 सहपठित धारा 42

भू-राजस्व संहिता

(अविस्त 2)

(88)



Noted 18/11/17
Rajendra
Appellat
21/11/17
H

(2)

सदर प्रकरण में अपीलार्थीगण तर्फे निवेदन है कि:-


श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) मंडलेश्वर जिला खरगोन न्यायालय द्वारा दिनांक 28.09.2016 को राजस्व प्रकरण क्रमांक 01/अपील/अ-6/15-16 में पारित आदेश से असंतुष्ट होकर यह निगरानी आवेदन पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे है:-




R-4341-ABR/16

21.3.2017

आवेदन की ओर ले की
की०के० समूह आयोग उपायक।
प्रह निगरानी अनुभागगीत अधिकारी
द्वारा जारी आदेश दिनांक
28.9.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत
की गई है। उक्त आदेश
अपीवीय आदेश है, जिसके
विरुद्ध निगरानी प्रविधाने
है। अतः प्रकण यक्षम
आयाज्य में प्रस्तुत करें
हेतु आवेदन के आयोगक
को कार्रवाई की जाती है।
इस प्रकार में कार्यवाही
शेष नहीं होने से समाप्त
की जाती है।




अध्यक्ष